

**नॉर्थवेन महानिदेशालय के सेवा के दौरान मर गए अथवा डाक्टरी आधार पर अयोग्य घोषित किए गए कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार**

2388. श्री अनवर अहमद: क्या नॉर्थवेन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या उनके मंत्रालय के नॉर्थवेन महानिदेशालय के सेवा के दौरान मर गए अथवा डाक्टरी आधार पर अयोग्य घोषित किए गए कर्मचारियों के आश्रित बच्चों को इस निदेशालय में रोजगार दिया जाता है,

(ख) यदि हां, तो ऐसे बच्चों की अब तक संख्या क्या है जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन बच्चों का उपयुक्त निदेशालय में चयन तो किया जाता है किन्तु उन्हें नौकरी में नियुक्त नहीं दो जाती ; और

(घ) यदि हां, तो उन बच्चों को जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया है, नौकरी में कब तक लिया जाएगा ?

नॉर्थवेन तथा परिवहन मंत्री श्री वारनेन्द्र पाटिल: (क) जी हां ।

(ख) दो बर्थात

(1) भूतपूर्व चपरासी श्री एस. एस. फकीर का जो सेवाबाधि में मर गये थे, लड़का श्री ए. आर. सुलेमान 20-8-73 से वाचमैन नियुक्त किया गया ।

(2) श्री डी. वी. कुडले, स्टाफ कार ड्राइवर का जो सेवा नियुक्त होने के बाद मर गये थे, लड़का श्री डी. डी. कुडले हमाल के पद पर 5 अप्रैल, 1974 से नियुक्त किया गया ।

(ग) इनका चुनाव किया गया और इन्हें नौकरी पर विधिवत लगाया गया ।

(घ) प्रश्न नहीं होता ।

**Chairman, South Central Railway Service Commission**

2389. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have dismissed Shri K. S. Tilak from the Chairmanship of the South-Central Railway Service Commission w.e.f. 1st January, 1981 when he had one and half year still left to complete his tenure.

(b) whether Government's attention has been drawn to the news appearing in Indian Express on 5th February, 1981 that Shri Tilak's dismissal was part of a bigger plan of the Railway Ministry to replace all such officials appointed during the Janata Admn.

(c) whether Shri Tilak's dismissal is a part of the plan as alleged by the News Paper and if not the reasons for the same; and

(d) the names of the non-officials that were appointed during the Janata Rule in Different Railways and the posts to which they were attached.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS & IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN):

(a) No. Services of Shri K. S. Tilak were terminated w.e.f. 9-1-81 by giving one month's pay and allowances in lieu of one month's notice, in terms of his appointment.

(b) Yes, but where is no substance in the news..

(c) No. Shri Tilak' appointment was terminated in public interest.

(d) a statement is enclosed.